भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 489
बुधवार, 7 फरवरी, 2024 (18 माघ,1945 (शक)) को उत्तरार्थ

बीबीएसएसएल के उद्देश्य

489 ले . जनरल (डा.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
श्री नरहरी अमीन

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना के पीछे सरकार के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है ;

(ख) बीबीएसएसएल देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ- साथ बीज उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बनाने में कैसे मदद करेगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बीबीएसएसएल के लाभ का उपयोग कैसे किया जाएगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ख): सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की है । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड फसल पैदावार में सुधार और पारंपरिक प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन हेतु एक प्रणाली के विकास के लिए सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल ब्रांड नाम के तहत गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, प्रापण और वितरण कार्य करेगी । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड प्रमाणित बीजों के उत्पादन में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करके बीज प्रतिस्थापन दर, किस्म प्रतिस्थापन दर की वृद्धि में मदद करेगी ।

यह समिति, 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का केन्द्रित तरीके से लाभ उठाने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से बीजों की तीनों पीढ़ियों, अर्थात् प्रजनक, बुनियादी और प्रमाणित बीजों के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, प्रापण, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रैंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग में अपना ध्यान केन्द्रित करेगी । इससे सहकारी समितियों की समावेशी विकास मॉडल द्वारा "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य की प्राप्ति में भी मदद मिलेगी जहां उन्नत बीजों के उत्पादन और उच्च उपज किस्म के बीजों के उपयोग द्वारा फसलों के अधिक उत्पादन से सदस्यों को बेहतर कीमत की प्राप्ति होगी और समिति द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश से भी सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा ।

(ग): भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की उपविधियों के खंड 55 में निवल लाभ के वितरण के उपबंधों का रेखांकन निम्नानुसार किया गया है :-

(1) अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अध्याधीन, निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर साधारण निकाय निम्निलिखित रीति से निवल लाभ का विनियोजन करेगा, अर्थात्

i) निवल लाभ का न्यूनतम 25% संचित कोष में हस्तांतरित करना

ii) अपने शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत सहकारी शिक्षण कोष में क्रेडिट करना

iii) आकस्मिक नुकसान को पूरा करने के लिए शुद्ध लाभ के न्यूनतम 10% की राशि को आरक्षित कोष में अंतरित करना

(2) उपर्युक्त उपखंड के तहत निवल लाभ को विनियोजित करने के उपरांत बोर्ड की सिफारिशों की अनुशंसा पर आम निकाय निम्नलिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए निवल लाभ के शेष को विनियोजित करेगा:

क. चुकता शेयर पूंजी से अपने सदस्यों को 20 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान का लक्ष्य करेगा:

परंतु यह कि यदि किसी वर्ष में अवितरित निवल लाभ में कमी के कारण विशिष्ट दर पर लाभांश का भुगतान नहीं होने पर आम निकाय, निम्नतर दर का निर्णय कर सकता है जिसपर सदस्यों को लाभांश से भुगतान किया जाएगा ।

ख. शिक्षा निधि में किए गए अंशदान का उपयोग निदेशक बोर्ड की स्वीकृति से नियमित आधार पर सदस्यों, निदेशकों और कर्मियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा;

ग. सहकारी आंदोलन के विकास के प्रायोजन या लागू पूर्त विन्यास अधिनियम की धारा 2 में दी गई व्याख्या के अनुसार किसी पूर्त प्रयोजन से से जुड़े चंदे;

घ. समिति के कर्मी को अनुग्रह राशि का भुगतान;

ङ. किसी अन्य कोष का सृजन;

च. अवितरित लाभ, यदि कोई हो, को समिति के आरक्षित कोष में जोड़ दिया जाएगा ।

(3) किसी सदस्य से प्राप्त उत्पादों की बिक्री से प्राप्त शुद्ध अधिशेष या सदस्यों, बोर्ड या आम निकाय की चुकता शेयर पूंजी पर भुगतान किए जाने वाले लाभांश, जो भी दशा हो, के संदर्भ में खंड 54 और 55 (1) एवं (2) में किसी बात के होते हुए भी, उत्पाद के अंतिम मूल्य के रूप में शुद्ध अधिशेष और सदस्यों को लाभांश के पारदर्शी व न्यायोचित भुगतानों में संतुलन बनाए रखा जाएगा ताकि सदस्यों के बीच शुद्ध अधिशेष और लाभांश का बराबर वितरण सुनिश्चित हो सके ।

*****